भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1075

सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024 / 11 अग्रहायण, 1946 (शक)

कामगारों को स्थायी दर्जा

1075. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दैनिक वेतनभोगी, संविदा अथवा नैमित्तिक कर्मकारों, जो 12 महीनों की अवधि में 180 दिनों की अवधि से निरंतर सेवा में हैं, को स्थायी दर्जा प्रदान करने के लिए कोई कानून अधिनियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह, एआईआर 2016 एससी 5176 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में संविदा/नैमित्तिक/दैनिक वेतन भोगी कामगार और स्थायी कामगार के बीच किए गए कार्य के लिए वेतन में समानता के मूल अधिकार के व्यापक उल्लंघन को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने उन नैमित्तिक श्रमिकों/कामगारों को अस्थायी दर्जा प्रदान करने और बाद में नियमित करने के लिए दिनांक 10-09-1993 को एककालिक योजना अधिसूचित की थी जो इस योजना के जारी होने की तारीख से सरकार में 240 दिनों से अधिक समय (सप्ताह में 5 दिन का काम करने वाले कार्यालयों के मामले में 206 दिन) के लिए कार्यरत थे।

डीओपीटी ने सामान्य अनुपालन के लिए "नैमित्तिक श्रमिकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन" विषय से संबंधित मामले में निर्देश जारी किए थे और साथ ही पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह, एआईआर-2016 एससी 5176 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के विशिष्ट मामले में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुपालन के लिए दिनांक 04.09.2019 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निर्देश जारी किए थे।

सरकार ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह

भी अपेक्षित है कि ठेका श्रमिकों को उसी या समरूप कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों के समान वेतन का भुगतान किया जाए।

सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) की स्थापना की है जो केंद्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के नियंत्रण में उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केंद्रीय) का देशव्यापी नेटवर्क है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किए जाते हैं और किसी भी उल्लंघन/अतिक्रमण के मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है।

*****